

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर म.प्र.

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

अपीलीय अधिकारी

नाम — श्री के.के. त्रिपाठी,
कार्यालय का पता— कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर म.प्र. पिन— 482001
कार्यालय दूरभाष क्रमांक — 0761-2620902
निवास का पता —
फैक्स क्रमांक— 0761-2628557
ई-मेल पता — dcourtjab-mp@nic.in

लोक सूचना अधिकारी

नाम — श्री ब्रजभूषण पटेल,
कार्यालय का पता— लोक सूचना अधिकारी एवं न्यायालय अधीक्षक
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर म.प्र. पिन— 482001
कार्यालय दूरभाष क्रमांक—0761-2620902
निवास का पता — एफ-2 गोकलपुर रांझी, जबलपुर म.प्र.
फैक्स क्रमांक— 0761-2628557
ई-मेल पता — dcourtjab-mp@nic.in

- आवेदन कैसे करें :— कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ रुपये 10/- का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प भारतीय पोस्टल आर्डर या लोक सूचना अधिकारी को नगद जमा कर आवेदन कर सकता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों से फीस नहीं ली जावेगी।
- जानकारी किससे प्राप्त कर सकते हैं :— समस्त सरकारी व गैर सरकारी संगठन जिसका वित्त पोषण राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, से सूचना की मांग की जा सकती है।
- जानकारी कौन प्राप्त कर सकता है :— इस अधिनियम के अंतर्गत सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है :— ऐसी विनिर्दिष्ट सूचना जिसे संवेदनशील या गोपनीय माना गया है, के

TITLE PAGE

- अतिरिक्त अन्य सभी जानकारीयां प्राप्त कर सकता है।
जानकारी देने की समयावधि :— लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोध का निपटारा 30 दिन की अवधि के भीतर किया जावेगा। जहां लोक सूचना अधिकारी को ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है जो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से संबंध रखता है तो ऐसा अनुरोध का निपटारा उसके प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर किया जाना होगा।
- सूचना के लिए देय फीस :— प्रिंटेड जानकारी की फोटोप्रति/साफ्टकापी की सीडी आदि में जानकारी प्रदाय करने हेतु शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को लोक सूचना अधिकारी को देय होगा जिसकी रसीद प्रदाय की जाएगी।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर म0प्र0 से प्राप्त की जा सकती है।

आदेशानुसार
अपीलीय अधिकारी,

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर म.प्र.
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

अपीलीय अधिकारी

नाम -
कार्यालय का पता -

कार्यालय दूरभाष क्रमांक -
निवास का पता -

फैक्स क्रमांक -
इ-मेल पता -

श्री. के.के. त्रिपाठी,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर म.प्र. पिन - 482001
0761-2620902

0761-2628557
dcourtjab-mp@nic.in

लोक सूचना अधिकारी

नाम -
कार्यालय का पता -

कार्यालय दूरभाष क्रमांक -
निवास का पता -

फैक्स क्रमांक -
इ-मेल पता -

श्री ब्रजभूषण पटेल
लोक सूचना अधिकारी एवं न्यायालय अदीक्षक
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर म.प्र. पिन - 482001
0761-2620902
एफ-2 नोकलपुर रोड, जबलपुर म.प्र.
0761-2628557
dcourtjab-mp@nic.in

- आवेदन कैसे करें :- कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर आवेदन कर सकता है आवेदन पत्र के साथ रुपये 10/- का भारतीय नैर न्यायिक स्टाम्प भारतीय पोस्टल आर्डर या लोक सूचना अधिकारी को नगद जमा कर आवेदन कर सकता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों से फीस नहीं ली जावेगी।
- जानकारी किससे प्राप्त कर सकते हैं :- समस्त सरकारी व नैर सरकारी संगठन जिसका वित्त पोषण राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, सूचना की मांग की जा सकती है।
- जानकारी कौन प्राप्त कर सकता है :- इस अधिनियम के अंतर्गत सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा।
कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है :- ऐसी विनिर्दिष्ट सूचना जिसे संचयनशील या गोपनीय माना गया है, के अतिरिक्त अन्य सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- जानकारी देने की समयवधि :- लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोध का निपटारा 30 दिन की अवधि के भीतर किया जावेगा जहां लोक सूचना अधिकारी को ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है जो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से संबंध रखता है तो ऐसा अनुरोध का निपटारा उसके प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर किया जाना होगा।
- सूचना के लिए देय फीस :- प्रिंटेड जानकारी की फोटोप्रिंट / साफ़ कॉपी की सीडी आदि में जानकारी प्रदाय करने हेतु शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को लोक सूचना अधिकारी को देय होगा। जिसकी रसीद प्रदाय की जायेगी।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर म.प्र. से प्राप्त की जा सकती है।

आदेशानुसार
अपीलीय अधिकारी